न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 26/2025

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2025/141

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी पाली		1. मलाराम विश्नोई पुत्र स्वरूपाराम, निवासी गुढा विश्नोईयान तहसील लुणी, जिला पाली 2. गिरधारी लाल पटेल निवासी ग्राम खारा बेरा तहसील लुणी जिला जोधपुर 3. मांगीलाल ग्राम मोगड़ा कुड़ी भगतासनी जोधपुर सिटी जिला जोधपुर

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक:– 23/03/2026

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रस्तुत कर अप्रार्थी से ई.सी एक्ट में जब्त सुदा अवैध 800 लीटर पैट्रोल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ, 200 लीटर डीजल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ तथा 4800 लीटर थिनर जैसा पैट्रोलियम पदार्थ मय वाहन पिकअप संख्या आर.जे. 22 जीबी 2801 एवं दो रबड की नलिया एक कीमा राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 26.03.2025 पुलिस थाना सोजत से प्राप्त सुचना के आधार पर प्रार्थी स्वयं हमराह कमल कुमार पंवार प्रवर्तन अधिकारी एवं जितेन्द्रसिंह आशिया प्रवर्तन अधिकारी मौका स्थल जोगाराम मेघवाल का बेरा ग्राम धीनावास तहसील सोजत पहुंचे। मौके पर एएसआई चौथाराम मय जाब्ता पुलिस थाना उपस्थित थे उन्होने तहरीर के अनुसार अवगत कराया कि श्री जोगाराम मेघवाल निवासी धीनावास के बेरे पर 29 ड्रमों में अवैध पैट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण पाया गया है, जिसके संबंध में मौके पर उपस्थित मालाराम विश्नोई पुत्र स्वरूपराम विश्नोई से पुछताछ करने पर उक्त माल स्वयं

अति. जिला कलैक्टर पाली

का होना बताया। जिसके संबंध में आवश्यक दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जाने से मौके पर उपलब्ध 29 ड्रमों में भरे पैट्रोलियम पदार्थ को जब्त किया। जिसके संबंध में मालाराम ने बताया कि वह यह कार्य गिरधारीलाल पटेल निवासी ग्राम खाराबेरा एवं मांगीलाल पटेल निवासी ग्राम मोगड़ा जिला जोधपुर के साथ पार्टनरशीप में करते है, जो कि मौके पर अनुपस्थित मिले। उक्त तीनों पैट्रोलियम पदार्थ में से नमुना लेकर नियमानुसार शील पेक कर विधिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया एवं मौके पर उक्त पैट्रोलियम पदार्थ के साथ मय वाहन पिकअप आर.जे. 22 जीबी 2801 एवं दो रबड की नलिया एक कीमा को जब्त किया जाकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री भीयाराम, सउनि. पुलिस थाना सोजत सिटी को सुपुर्द किया एवं पुलिस थाना सोजत में दिनांक 26.03.2025 को एफआईआर संख्या 0072/2025 दर्ज करवायी। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी लाईसेंस परमिट बिल वाउचर के 800 लीटर पैट्रोल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ, 200 लीटर डीजल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ तथा 4800 लीटर थिनर जैसा पैट्रोलियम पदार्थ का अवैध भण्डारण करना व बेचान करना पाया जाने से Motor spirit & High speed dieasel (Regulation of Supply distribution & perevention of Malpractices) Order 2005 के खण्ड 3, 4 का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रैणी में आने से प्रकरण में जब्तशुदा अवैध 800 लीटर पैट्रोल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ, 200 लीटर डीजल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ तथा 4800 लीटर थिनर जैसा पैट्रोलियम पदार्थ एवं दो रबड की नलिया एक कीमा को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उक्त प्रकरण अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी लाईसेंस परमिट बिल वाउचर के 800 लीटर पैट्रोल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ, 200 लीटर डीजल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ तथा 4800 लीटर थिनर जैसा पैट्रोलियम पदार्थ का अवैध भण्डारण करना व बेचान किये जाने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया जो कि Motor spirit & High speed dieasel (Regulation of Supply distribution & perevention of Malpractices) Order 2005 के खण्ड 3, 4 का उल्लघंन है। प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना सोजत से दिनांक 26.03.2026 को प्राप्त सुचना के आधार पर प्रार्थी हमराह कमल कुमार पंवार प्रवर्तन अधिकारी एवं जितेन्द्रसिंह आशिया प्रवर्तन अधिकारी के साथ मौका स्थल जोगाराम मेघवाल का बेरा ग्राम धीनावास पहुंचे। मौके पर एएसआई चौथाराम मय जाब्ता पुलिस थाना उपस्थित थे जहां पर जोगाराम मेघवाल निवासी धीनावास के बेरे पर 29 ड्रमों में अवैध पैट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण पाया गया है, अवैध भण्डारण के बारे में मौके पर उपस्थित मालाराम विश्नोई पुत्र स्वरूपराम विश्नोई से पुछताछ करने पर उक्त अवैध पैट्रोलियम पदार्थ स्वयं का होना बताया एवं उसके संबंध में आवश्यक दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जाने से मौके पर उपलब्ध 29 ड्रमों में भरे पैट्रोलियम पदार्थ को जब्त किया। मालाराम यह कार्य गिरधारीलाल पटेल निवासी ग्राम खारा बेरा एवं मांगीलाल पटेल निवासी ग्राम मोगड़ा जिला जोधपुर के साथ पार्टनरशीप में कार्य करते है जो कि मौके पर अनुपस्थित मिले। उक्त अवैध तीनों पैट्रोलियम पदार्थ

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

सें नमुना लेकर नियमानुसार शील पेक कर जरिये पत्रांक 367 दिनांक 27.03.2025 द्वारा क्षैत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर वास्ते जांच हेतु भिजवाया गया एवं मौके पर से उक्त पैट्रोलियम पदार्थ के साथ मय वाहन पिकअप आर.जे. 22 जीबी 2801 एवं दो रबड की नलिया एक कीमा को जब्त किया जाकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री भीयाराम, सउनि. पुलिस थाना सोजत सिटी को सुपुर्द किया एवं पुलिस थाना सोजत में दिनांक 26.03.2025 को एफआईआर संख्या 0072/2025 दर्ज करवायी। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप आर.जे. 22 जीबी 280 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत द्वारा आदेश क्रमांक 2968 दिनांक 31.10.2025 की अनुपालना में ओमप्रकाश पुत्र पुखाराम जाति गुर्जर, निवासी राजेन्द्र नगर पाली को सुपुर्द किया जा चुका है। Motor spirit & High speed dieasel (Regulation of Supply distribution & perevention of Malpractices) Order 2005 के खण्ड 3 (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) के अनुसार यह केन्द्र सरकार को अधिकृत व्यक्तियों (डीलरों) के माध्यम से ही मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और डीजल की बिक्री और वितरण सुनिश्चित करने की शक्ति देता है, जो गुणवत्ता और मात्रा के मानकों का पालन करते हैं। इसी प्रकार खण्ड 4 (विपणन पर प्रतिबन्ध): यह स्पष्ट करता है कि केवल केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत या तेल विपणन कम्पनियों के डीलर ही उपभोक्ताओं को पेट्रोल या हाई–स्पीड डीजल का विपणन या बिक्री कर सकते हैं। कोई भी अनधिकृत व्यक्ति या संस्था इसका भण्डारण या बिक्री नहीं कर सकती। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त Shambhu Dayal Agarwala v. State of West Bengal (SC 1990) में यह स्पष्ट किया कि Confiscation under Section 6A criminal prosecution से independent है और अगर यह प्रमाणित हो कि Motor Spirit Order का उल्लंघन हुआ, तो seized commodity को राज्य के पक्ष में जब्त करना lawful है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त Suresh Kumar Patwari v. BPCL (Jharkhand HC 2015) में यह प्रतिपादित किया है कि Adulteration या fuel standard deviation Clause 4 का उल्लंघन है, तो ऐसे मामलों में seized fuel state के पक्ष में जब्त किया जा सकता है, ताकि regulatory compliance और deterrence सुनिश्चित हो।

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी लाईसेंस परमिट बिल वाउचर के 800 लीटर पैट्रोल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ, 200 लीटर डीजल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ तथा 4800 लीटर थिनर जैसा पैट्रोलियम पदार्थ का अवैध भण्डारण करना व बेचान करना पाया जाने से Motor spirit & High speed dieasel (Regulation of Supply distribution & perevention of Malpractices) Order 2005 के खण्ड 3, 4 का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर से Motor spirit & High speed dieasel (Regulation of Supply distribution & perevention of Malpractices) Order 2005 के तहत की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा अवैध 800 लीटर पैट्रोल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ, 200 लीटर डीजल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ तथा 4800

अति. जिला कलेक्टर, पाली

लीटर थिनर जैसा पैट्रोलियम पदार्थ मय दो रबड की नलिया एक कीमा को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी लाईसेंस परमिट बिल वाउचर के 800 लीटर पैट्रोल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ, 200 लीटर डीजल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ तथा 4800 लीटर थिनर जैसा पैट्रोलियम पदार्थ का अवैध भण्डारण एवं बेचान किये जाने से जब्तसुदा अवैध 800 लीटर पैट्रोल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ, 200 लीटर डीजल जैसा पैट्रोलियम पदार्थ तथा 4800 लीटर थीनर जैसा पैट्रोलियम पदार्थ मय दो रबड की नलिया एक कीमा राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेंषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा माल सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 8618/खा.ले./नीति/6A/2020 जयपुर दिनाँक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F04{23} खा.ले/नीति/6A/89 जयपुर दिनाँक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा माल के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)